

उपखण्ड अधिकारी
करौली

रिपबान

5/18

श्रीमान P.O. साहव पुत्र कर्ष में व्यस्त होने के

कारण आज दिनांक 5/1/18 को

विवाह की सूचना की

सुनवाई दिनांक 17-1-19 को

की जावेगी।

17.1.19

पत्तावली पेश हुई। वही के कमील उपस्थित
नहीं ना ही वही स्वयं उपस्थित कोई
वार आवाज लगवाई गई। वार वार
आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित
नहीं हुए। अतः प्रार्थना पत्र अफस
द्वारा कसम देरकी से खारिज किया
जाता है। पत्तावली कैंसल भुगतार लोक
मन्वेरेले कस लोक मूल दावा से हम
कीला रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पुनरी